


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी,
आर०टी०ई०, राँची

मुख्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर राँची-834002

Ph: 0651-2490065 (Office), Fax-2490064

Email-ranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय-राँची

संख्यांक 347

तारीख 20.6.2020

प्राचार्य,

एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल,
भारत माता चौक, हरमू रोड, राँची

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्रसंग:-जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति द्वारा दिनांक 07.03.2020 के बैठक में लिए गए निर्णय।

महोदय/महोदया,

उर्पयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल, भारत माता चौक, हरमू रोड, राँची के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल, भारत माता चौक, हरमू रोड, राँची को शैक्षणिक सत्र के 2020-2021 से कक्षा 1 (एक) से 8 (आठ) तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

1. इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को लागू करना होगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पास के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

S. Alan
Principal

ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL
Harmu Road, Ranchi

th
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL

Secretary

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे-
 - (क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा।
 - (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
 - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण- पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (ङ.) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (च) संबंधित विद्यालय अपने पास-पड़ोस के 1 से 5 कि0मी0 के परिधीय क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत बालकों का आर0टी0ई0 अंतर्गत 25 प्रतिशत नामांकन सहित अपने विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करेगा।
 - (छ) विद्यालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास (Entrance and Exit) द्वार, जो मुख्य अथवा सहायक पथ पर पड़ते हैं, उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किये जाने की जवाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
 - (ज) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा उनके पास निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, तीन वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्ज कर लेंगे।
 - (झ) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - (ञ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

S. Alan
Principal
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL
Harmu Road, Ranchi

Muzakkar
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL

Secretary

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विद्यालय में अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-
 - I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 2 एकड़ 18 डिसमील
 - II) कुल निर्मित क्षेत्रफल - 42 डिसमील
 - III) क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल-80 डिसमील
 - IV) कक्षाओं की संख्या -26
 - V) प्राध्यापक-सह-कार्यालय-भंडारागार के लिए कक्ष- 1
 - VI) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-बालक-3/बालिका-3
 - VII) पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।
 - VIII) मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)-लागू नहीं
 - IX) बाधारहित पहुँच-उपलब्ध है।
 - X) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपस्करों/पुस्ताकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
14. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

S. Alan

Principal

ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL
Harmu Road, Ranchi

th
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL

Secretary


जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी,

आर0टी0ई0, राँची

मुख्य विद्यालय बी0एम0पी0-1 ओरण्डा परिसर राँची-834002

Ph: 0651- 2490065 (Office), Fax- 2490064

Email-rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
16. विद्यालय के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, झारखण्ड बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में अंकित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
17. विद्यालय एवं उससे संबंधित भूमि का सही-सही विवरण उपलब्ध कराने/अभिलेख संधारण/उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से कय/हरतान्तरण/प्राप्ति की पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसके सोसाईटी की है एवं होगी। अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/वाद/माननीय न्यायालय वाद/अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/सरकार/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी-पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

(यह आदेश उपायुक्त, राँची, की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.03.2020 में लिए गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है।)

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या 2020-2140/2020-21 हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

विश्वासभाजन

4h 20.05.20

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची

वि. 20.6.20

Secretary
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL

S. Alan
Principal
ASCOT INTERNATIONAL SCHOOL
Harmu Road, Ranchi

Secretary